न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–81/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/81

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. हेमाराम पुत्र श्री भलारामजी, जाति माली, निवासी–ग्राम टांपी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।		1. श्रीमती सुजना बैवा केसराराम, जाति माली, निवासी ग्राम टांपी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।
2. प्रहलादराम पुत्र श्री भलारामजी, जाति माली, निवासी ग्राम टापी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।		2 वागाराम पुत्र श्री डूंगरराम, जाति माली, निवासी ग्राम टांपी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।
3. शंकरराम पुत्र श्री भलारामजी, जाति माली, निवासी–ग्राम टांपी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।		3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चितलवाना जिला जालोर।
4. श्रीमती भीखीदेवी पत्नी भलारामजी, जाति माली, निवासी ग्राम टांपी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार एवं दण्डनायक मजिस्ट्रेट, चितलवाना के आदेश 396 दि.28.6.2018

उपस्थिति :–
1. श्री अशोक अरोडा, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार एवं दण्डनायक मजिस्ट्रेट, चितलवाना के आदेश संख्या 396 दिनांक 28.06.2018 केनिर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए।
3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में गम्भीर रूप से विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है।

30/8/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने में किसी भी प्रकिया का पालन तक नहीं किया है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त खसरा नं0 1237 की भूमि के रिकोर्डेड खातेदार काविज काश्तकार है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं कर आलोच्य निर्णय पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थीनी सं० 1 श्रीमती सुजना द्वारा समान तथ्यों के आधार पर पूर्व में ही आवेदन पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था जो उक्त न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के उपरान्त अपीलीय न्यायालय द्वारा भी सुजना द्वारा पूर्व में प्रस्तुत धारा 136 भू०राज० अधिनियम का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीनी सं० 1 श्रीमती सुजना को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू०राज० अधि० के तहत पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था किन्तु प्रत्यर्थीनी सं० 1 श्रीमती सुजना द्वारा पूर्व में निस्तारित प्रार्थना पत्र एवं अपील के निर्णय एवं प्रकरण के माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष लम्बित होने के तथ्य को न्यायालय से छुपाते हुए आलोच्य निर्णय पारित करवा दिया है। जिससे यह सिद्ध है कि श्रीमती सुजना अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुई है। न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए प्राप्त किया गया आलोच्य निर्णय विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

धारा 136 भू०राज० अधिनियम के तहत पक्षकारान की आपसी सहमति से लिपिकीय त्रुटि के सुधार का प्रावधान दिया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश से अपीलार्थीगण खसरा नं0 1237 केबाबत अपने खातेदारी अधिकारों से ही महरूम हो गये है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश से श्रीमती सुजना खसरा नं० 1237 की खातेदार काश्तकार घोषित कर दी गई है। जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 1237 पर अपीलार्थीगण का कब्जा है। बटवाडा एवं नामान्तरकरण कई वर्षों पूर्व पारित किये जा चुके है। किन्तु उक्त आदेश की आज दिन तक कोई अपील नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मूल नामान्तरण के अस्तित्व में रहते हुए विधि अनुसार प्रत्यर्थीनी सं० 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थीनी सं० 1 द्वारा रेकर्ड दुरस्ती के प्रार्थना पत्र की आड़ में अधिनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए खातेदारी घोषणा का आदेश प्राप्त कर दिया गया है। जो धारा 136 भू०राज० अधिनियम के प्रार्थनापत्र के तहत दिया ही नही जा सकता है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।.

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया एवं न ही आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना भी दी गई। दिनांक 20.10.2018 को श्री वागाराम पुत्र श्री डूंगराराम अपीलार्थी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि पर आया एवं अपीलार्थी को बेदखल करने की धमकी देने लगा जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी की उपरोक्त खसरा नं0 1237 की भूमि होने का कथन किया गया तो वागाराम पुत्र डूंगराराम द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि इस भूमि का राजस्व रिकोर्ड श्रीमती सुजना द्वारा अपने नाम करवा दिया गया है एवं सुजना द्वारा उपरोक्त भूमि का दिनांक 3–8–2018 को बैचाननामा भी वागाराम के हक में निष्पादित कर दिया गया है। जिस पर अपीलार्थी को अत्यन्त ही आश्चर्य हुआ। अपीलार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चितलवाना द्वारा प्रत्यर्थी सं० 1 व 2 के साथ सांठ–गांठ कर षडयन्त्रपूर्वक अपीलार्थीगण को अवैध हानि पहुंचाने की नियत से अवैध व अनाधिकार रूप से अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही श्रीमती सुजना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू०राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खसरा नं० 1237 बाबत सुजना के नाम का इन्द्राज करने का आदेश पारित कर दिया गया है। जिसकी प्रतिलिपि हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22–10–2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रमाणितप्रतिलिपि अपीलार्थी को दिनांक 23–10–2018 को प्राप्त हुई तब अपीलार्थी को दिनांक 23–10–2018 को आलोच्य निर्णय की पूर्ण एवं विधिवत जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में जानकारी के आधार पर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। यदि न्यायालय हाजा द्वारा अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब माना भी जाता है तो ऐसा विलम्ब क्षमा योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की ओर से की गई मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहसी और बहस के मुख्य विन्दु दिनांक 28.8.2024 को अंतिम बहस के दौरान पेश किये ।

6. हमने उपस्थित वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि आलोच्य आदेश कमांक/396 दिनांक 28.06.2018 धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में तहसीलदार, चितलवाना द्वारा जारी किया गया यह आदेश जारी करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार अप्रार्थी एवं अपीलाण्ट को सुनने का अवसर भी नही दिया गया है जबकि धारा 136आरएलआरएक्ट आदेश को पारीत करने की सक्षम अधिकारिता तहसीलदारमें निहित नही होकर लेण्ड रिर्कोड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी/ जिला कलेक्टर) में निहित है। इस प्रकार यह आदेश तहसीलदार चितलवाना द्वारा सक्षम अधिकारिता से बाहर जाकर जारी किया गया है एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अतः यह आदेश निरस्तनीय है।

7. **इस प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने के दौरान निम्न महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु प्रकट हुए है–**

1. यह प्रकरण पूर्णतः रिकॉर्ड दुरूस्ती का है । जिसमें दोनो पक्षकारो की भूमि एक दुसरे के आपस में गलत रूप से भू अभिलेख में प्रविष्टि होने पर संशोधन हेतु पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 कि विरूद्ध हस्तगत अपील प्रकरण प्रस्तुत हुआ है।

2. रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 29.01.2014 को उपखण्ड अधिकारी, सांचौर द्वारा धारा 136 के अन्तर्गत पारित आदेश उपरान्त यह प्रकरण राजस्व मण्डल तक जैरकार रहा है, जहां पर इस प्रकरण में रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 29.8.2018 को अपील विड्रो करने से कार्यवाही स्थगित हुई है इस प्रकार प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण माननीय राजस्व मण्डल द्वारा नही किया जा सका है।

3. प्रकरण में मूलतः दोनो पक्षकारो के मध्य पारस्परिक सहमति जोत विभाजन की कार्यवाही उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 27 सहायक भू अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाकर सही रूप में निस्तारित हो

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

30/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

चुका था, परन्तु सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान ही रिकॉर्डअमल दरामद कार्यवाही में मिसल बन्दोबस्त में यह त्रुटि कारित हुई है ।

उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराने के लिए धारा 136भू.राज.अधि. के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सांचौर के न्यायालय में दर्ज कार्यवाही को कानून के प्रेपेक्ष्य में सही रूप में नही देखा गया एवं विधि की दृष्टि से दिनांक 29.1.2014 को सम्यक आदेश जारी नही हो सका । यह प्रकरण पूर्णतः रिकॉर्ड दुरस्ती की प्रकृति का है जबकि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय (एल.आर.ओ.) द्वारा इसे खातेदारी अधिकारी की घोषणा की प्रकृति का प्रकट करते हुए निरस्त किया गया है।

4. प्रकरण में दिनांक 28.6.2018 को धारा 136 एल.आर.एक्ट अन्तर्गत तथ्यात्मक रूप से पारित आदेश सही है परन्तु यह आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है जो कि क्षैत्राधिकार के बाहर होकर विधिक रूप से अमान्य है।

5. भू राजस्व रिकॉड की त्रुटि को किसी भी समय प्रार्थी धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट अन्तर्गत दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इस हेतु प्रार्थी पुनः उपखण्ड अधिकारी सांचौर के न्यायालय में धारा 136 आरएलआरएक्ट के अन्तर्गत सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

8. वर्तमान हस्तगत अपील तहसीलदार चितलवाना द्वारा सक्षम अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय पारीत करने से धारा 136 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित ग्राम टापी के खाता संख्या 434 वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) ख.न. 1237 रकबा 1.19 है. हेमाराम प्रहलादराम शंकरराम पि. भलाराम भीखीदेवी पत्नि भलाराम कौम माली को आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है) ख.न. 1237 रकबा 1.19 है. में सुजना बेवा केसराराम कौम माली के हद तक आदेश को अपास्त किया जाता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। एवं प्रार्थी रेस्पोडेण्ट रिकॉर्ड दुरूस्ती के लिए उपखण्ड अधिकारी सांचौर (एल.आर.ओ.) के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पुनः नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम होगे।अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner